न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 08 / 2022

अनवान

1 कालु पुत्र गोकल अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.) —प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र श्री नगजी अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
2. कालु पुत्र मागु अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
3. श्रीमती अमरी बेवा उंकार अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
4. मेतियॉ बेवा स्व0 उदा अहीर निवासी नम्बर दारो का मोहल्ला तख्तपुरा तह हमीरगढ।
5. जीतु बेवा स्व धूला अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
6. सीताराम पुत्र स्व0 धुला अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
7. नारायण पुत्र उदा अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
8. नानी बेवा स्व. हजारी अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
9. राजु पुत्र उदाजी अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
10. चुन्नी लाल पुत्र उदा अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
11. रतन पुत्र भैरा गाडरी निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
12. मोहन पुत्र भैरा गाडरी निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
13. लाला पुत्र श्री नन्दा अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
14. हरिशकर पुत्र नारू अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
15. बेणा पुत्र नन्दा अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 24—05—2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम तख्तपुरा पटवार हल्का तख्तपुरा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 274 की कृषि भूमि की आ.न. 154 रकबा 0.0253 है0**, आ.न. 338 **रकबा** 0.4299 है0, आ.न. 339 **रकबा 0.6323 है0, कुल किता 03 रकबा 1.0875 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13.01.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 1 से 9 एवं 11 व 13 से 15 वावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अत: न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी सख्या 10,12 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी सख्या 10,12 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में [illegible] 10,12 को [illegible] विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। [illegible] मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का [illegible]कारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अत: इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:03:37 IST
Reason: SelfAttested

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम तख्तपुरा पटवार हल्का तख्तपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 274 की कृषि भूमि की आ.न. 154 रकबा 0.0253 है0, आ.न. 338 रकबा 0.4299 है0, आ.न. 339 रकबा 0.6323 है0, कुल किता 03 रकबा 1.0875 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/– पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 24.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:03:37 IST
Reason: SelfAttested